



सत्यमेव जयते

The Gujarat Government Gazette

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. LXVII]

WEDNESDAY, JANUARY 7, 2026 / PAUSHA 16, 1947

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

PART IV-C

**Statutory Rules and Orders (Other than those published in Parts I, I-A and I-L)
made by Statutory Authorities other than the Government of Gujarat
including those made by the Government of India, the High Courts, the
Director of Municipalities, the Commissioner of Police, the Director of
Prohibition and Excise, the District Magistrates and the Election
Commission, Election Tribunals, Returning Officers and other
authorities under the Election Commission.**

DEENDAYAL PORT AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhidham, Kutch, 7th January, 2026

No. CH/DPA/01/2026: The proposed Recruitment Rule as per Annexure for newly created 2 nos. of posts of Sr. Marine Engineer (Dy. HoD level) in the scale of pay of Rs. 80,000-2,20,000/-, in DPA, as a part of Schedule at Sr.No.56 of the Deendayal Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, which the Board of Deendayal Port Authority proposes to make for pre-publication of the same in the State Gazette and to further notify the same in the Official Gazette subject to approval of the Central Government in terms of Sections 72(1), 72(2)(c) read with Section 18(1)(b) of MPA Act, 2021, is hereby published as required by the said Section of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gujarat Government Gazette, in which the draft Recruitment Rule is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent addressing to the Secretary, Deendayal Port Authority, A.O. Building, Post Box No.50, Gandhidham-Kutch, Gujarat 370201 or email at secretary@deendayalport.gov.in, within the period specified above;

Any objections or suggestions received from any person with respect of the said draft Recruitment Rule before the expiry of the aforesaid period shall be submitted to the Ministry of Ports, Shipping & Waterways for consideration.

YOGESH KUMAR SINGH,

Secretary,

Deendayal Port Authority.

DRAFT

DEENDAYAL PORT AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhidham, Kutch, 7th January, 2026

DEENDAYAL PORT TRUST EMPLOYEES (RECRUITMENT, SENIORITY AND PROMOTION) AMENDMENT REGULATIONS, 2026.

In exercise of the powers conferred by Sections 72(1), 72(2)(c) read with Section 18(1)(b) of Major Port Authorities Act, 2021, the Board of Members of Deendayal Port hereby makes the following Regulations to further amend the Deendayal Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, namely:

1. Short Title and Commencement :-

- (i) These Regulations may be called the Deendayal Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2026.
- (ii) They shall come into force from the date of publication in the Gazette of India.

2. In the Deendayal Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009: -

- (i) In the Schedule, following manner of appointment for the post of Senior Marine Engineer shall be inserted as Sl. No. 56: -

Sl. No.	Name of the Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
56	Senior Marine Engineer	2	Class I	80000-220000 (pre to pre revised 16000 - 20800)	Selection	50	i) MOT Class I (Marine Engineering Officer Class I) Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958. ii) 4 years' experience as Chief Engineer or 5 years combined experience as Chief Engineer and Second Engineer on board a foreign going ship, after obtaining MOT Class I (Marine Engineering Officer Class I) Motor Certificate.

Whether (a) age (b) Educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion /absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion /transfer/ absorption / deputation)	In case of promotion / transfer/absorption / deputation, grades from which it should be made	Remarks
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(a) No (b) Yes. (c) No	2	By promotion through composite method failing which by deputation failing both by direct recruitment.	<u>For Promotion</u>, Marine Engineer/AGM/Chief Engineer (Marine) with 3 years' regular service in pay scale of Rs.70000-200000. <u>Deputation</u> will be from officers holding analogous posts or officers with 3 years' regular service in the post of Marine Engineer/AGM/Chief Engineer (Marine) or equivalent in the scale of pay of Rs.70000-200000 in a Major Port or Non-major Port/Central Govt./State Govt./PSUs or Autonomous Bodies. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	--

FOOT NOTE – The principal regulations were published in the Gazette of India, extraordinary, vide number G.S.R. 767(E), dated the 20th October, 2009 and was subsequently amended vide number: -

- (i) G.S.R. 551(E), dated 07th July, 2015;
- (ii) G.S.R. 152(E), dated 08th February, 2016;
- (iii) G.S.R. 1124(E), dated 09th December, 2016;
- (iv) G.S.R. 1188(E), dated 30th December, 2016;
- (v) G.S.R. 545(E), dated 02nd June, 2017;
- (vi) G.S.R. 852(E), dated 10th September, 2018;
- (vii) G.S.R. 120(E), dated 15th February, 2019;
- (viii) G.S.R. 473(E), dated 05th July, 2019;
- (ix) G.S.R. 06(E), dated 02nd January, 2020; and
- (x) G.S.R. 359(E), dated 31st May, 2021

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण**अधिसूचना**

गांधीधाम, कच्छ, 7 जनवरी, 2026

सं. सीएच/डीपीए/01/2026: दीनदयाल पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2009 की अनुसूची के क्रमांक 56 पर एक भाग के रूप में, दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में रु 80,000-2,20,000/- के वेतनमान में वरिष्ठ समुद्री अभियंता (उप विभागाध्यक्ष स्तर) के नवसृजित दो पदों के लिये अनुलग्नक के अनुसार प्रस्तावित भर्ती नियम, जिसे दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण का बोर्ड, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 72(1), धारा 72(2)(ग) के साथ पठित धारा 18(1)(ख) के अनुसार, राज्य के राजपत्र में पूर्व प्रकाशन तथा आगे इसे केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करने के लिये, बनाना प्रस्तावित करता है, उक्त अधिनियम की उक्त धारा द्वारा यथाअपेक्षित के अनुसार, इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि जिस तारीख को गुजरात सरकार के राजपत्र, जिसमें यह मसौदा भर्ती नियम प्रकाशित किया गया है, की प्रतियां जनसाधारण हेतु उपलब्ध करायी गयी हैं, उस तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि समाप्त होने पर अथवा उसके पश्चात्, उक्त मसौदे पर विचार किया जाएगा;

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सचिव, दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, प्रशासनिक कार्यालय भवन, पोस्ट बॉक्स नं. 50, गांधीधाम-कच्छ, गुजरात 370 201 को संबोधित करते हुए भेजा जा सकता है या secretary@deendayalport.gov.in पर ईमेल किया जा सकता है।

उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी भी आपत्ति या सुझाव को विचारार्थ पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा।

योगेश कुमार सिंह,

सचिव,

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण।

प्रारूप**दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण****अधिसूचना**

गांधीधाम, कच्छ, 7 जनवरी, 2026

दीनदयाल पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2026

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 72(1), धारा 72(2)(ग) के साथ पठित धारा 18(1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण का बोर्ड एतद्वारा दीनदयाल पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2009 में आगे और संशोधन करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ: -

- (i) इन विनियमों को दीनदयाल पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2026 कहा जाएगा।
- (ii) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. दीनदयाल पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2009 में: -

- (i) अनुसूची में, वरिष्ठ समुद्री अभियंता पद हेतु निम्नलिखित नियुक्ति की रीति को क्रम संख्या 56 के रूप में जोड़ा जाएगा: -

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	क्या चयन या गैर-चयन है	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
56	वरिष्ठ समुद्री अभियंता	2	प्रथम श्रेणी	80000-220000 (पूर्व संशोधित से पूर्व 16000 - 20800)	चयन	50	i) एम.ओ.टी. प्रथम श्रेणी (समुद्री अभियांत्रिकी अधिकारी प्रथम श्रेणी) मोटर प्रमाणपत्र, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत निर्गत किया गया हो। ii) एम.ओ.टी. प्रथम श्रेणी (समुद्री अभियांत्रिकी अधिकारी प्रथम श्रेणी) मोटर प्रमाणपत्र, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत निर्गत किया गया हो तथा उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उपरांत मुख्य अभियंता के रूप में चार वर्ष का अनुभव अथवा मुख्य अभियंता एवं द्वितीय अभियंता के रूप में पाँच वर्ष का संयोजित अनुभव, जो विदेशगामी पोत पर सेवा के रूप में अर्जित किया गया हो।

क्या सीधी भर्ती के लिये उम्मीदवारों से संबंधित (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव, प्रोन्नति/ विलयन / प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है	अभ्युक्तियाँ
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	संयुक्त पद्धति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, ऐसा ना हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों पद्धतियों के न हो पाने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति के लिए, समुद्री अभियंता/ एजीएम/मुख्य अभियंता (समुद्री) के रूप में रु. 70,000-2,00,000 के वेतनमान में तीन वर्ष की नियमित सेवा। प्रतिनियुक्ति उन अधिकारियों से की जाएगी जो सदृश पद धारित करते हों या समुद्री अभियंता/ एजीएम/मुख्य अभियंता (समुद्री) अथवा समकक्ष के पद पर	--

क्या सीधी भर्ती के लिये उम्मीदवारों से संबंधित (क) आयु (ख) शैक्षणिक अर्हताएँ (ग) अनुभव, प्रोन्नति/ विलयन / प्रतिनियुक्ति की स्थिति में लागू होंगे	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (क्या सीधी भर्ती होगी अथवा प्रोन्नति/विलयन /प्रतिनियुक्ति द्वारा होगी)	प्रोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वे पद-श्रेणियाँ जिनसे ऐसा किया जाना है	अभ्युक्तियाँ
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			रु. 70,000-2,00,000 के वेतनमान में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी, जो किसी महापत्तन अथवा गैर-महापत्तन /केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकायों में कार्यरत हों। चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा तथा इसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में समग्र मूल्यांकन की मानक ग्रेडिंग “बहुत अच्छा” से कम नहीं होनी चाहिए।	

पाद टिप्पणी - प्रधान विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, में संख्यांक सा.वै.नि. 767 (स्था.), दिनांक 20 अक्टूबर, 2009 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे: -

- सा.वै.नि. 551 (स्था.), दिनांक 07 जुलाई, 2015;
- सा.वै.नि. 152 (स्था.), दिनांक 08 फरवरी, 2016;
- सा.वै.नि. 1124 (स्था.), दिनांक 09 दिसंबर, 2016;
- सा.वै.नि. 1188 (स्था.), दिनांक 30 दिसंबर, 2016;
- सा.वै.नि. 545 (स्था.), दिनांक 02 जून, 2017;
- सा.वै.नि. 852 (स्था.), दिनांक 10 सितंबर, 2018;
- सा.वै.नि. 120 (स्था.), दिनांक 15 फरवरी, 2019;
- सा.वै.नि. 473 (स्था.), दिनांक 05 जुलाई, 2019;
- सा.वै.नि. 06 (स्था.), दिनांक 02 जनवरी, 2020; and
- सा.वै.नि. 359 (स्था.), दिनांक 31 मई, 2021

